न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 171/2022

प्रार्थी :–
1– पन्नालाल पुत्र मोहनलाल
2–भंवरूराम पुत्र माधुराम जातियान कुमावत
निवासीगण थांवला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
अप्रार्थीगण :–
1– तहसीलदार रियांबड़ी
2–पटवारी हल्का थांवला तह.रियांबड़ी।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 27/3/24

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश है :–

1–यह है कि मौजा थांवला की सरहद में प्रार्थीग्ण व उनके परिवार के खातेदारी की भूमि खेत खसरा नंबर 1136 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नंबर 1137 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि आई हुई थी,जिसमें खसरा नंबर 1136 में सें 2 बीघा 5 बिस्वा,भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 89 में चली गई। इस प्रकार खसरा नंबर 1136 का कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा बनता है। जिसके नये खसरा नंबर 1570 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नंबर 1571 रकबा 0.71 हैक्टर कुल रकबा 0.75 हैक्टर खातेदारी में इन्द्रादेवी पुत्री अमरचंद वर्गरहा एंव पन्नालाल पुत्र मोहनलाल के नाम खातेदारी में रेकर्ड में दर्ज हे। वर्तमान खसरा नंबर 1546 जो गै.मु.सड़क खातेदारी में दर्ज है। जिसके पुरानेखसरा नंबर 1136/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा एंव नये खसरा नंबर 1546 रकबा 0.36 हैक्टर दर्ज है।

2–यह है कि ग्राम थांवला में खसरा नंबर 1136 रकबा 2 बीघा 5 बिसवा राष्ट्रीय राजमार्ग 89 में जाने के प्श्चात शेष रकबा प्रार्थीगण एंव उनके सह खातेदारान के नाम बचता है। जो रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा बचता है। जिसका वाद दिनेश कुमार बनाम शिवरतन वगैरहा राजस्व वाद संख्या 42/13 (45/04) निर्णय दिनांक 07.04.2016 को डिकी पारित की गई। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के उतर की तरफ खसरा नंबर 1136 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व उनके सहखातेदारान की मानी गई। वादी दिनेश कुगार के द्वारा खसरा नंबर 1121 का भाग बताते हुए दावा किया । परंतु अदालत हाजा ने उक्त खसरा नंबर 1136 की भूमि मानी गई। एंव वादी का का आंशिक वाद डिकी किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण व उनके सहखातेदारान की भूमि मानी गई। और वर्तमान में काश्त व काबिज है। परंतु वर्तमान सेटलमंट में खसरा नंबर 1136 की दक्षिण तरफ 3 बीघा 3 बिस्वा व उतर की तरफ 1 बीघा 10 बिस्वा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया हुआ है। परंतु सेटलमेंट ने केवल 1136 के नये खसरा नंबर 1570 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नंबर 1571 रकबा 0.71 कुल रकबा 0.75 हैक्टर दक्षिण दिशा का भाग को ही दर्ज करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के उतर दिशा में 1136 का भाग न मानते हुए पुराने खसरा नंबर 1121 का भाग बता दिया है। परंतु राजस्व नक्शा एंव मौके के अनुसार एवं अदालत हाजा के निर्णय के अनुसार उक्त खसरा नंबर 1136 का भाग घोषित किया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण व उनके सह खातेदारान का काश्त व कब्जा चला रहा है।

3–यह है कि राजस्व वाद के डिकी में प्रार्थीगण व उनके सह खातेदारान की खसरा नंबर 1136 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के उतरी तरफ है। जिसको प्रार्थीग्ण व उनके सह खातेदारान के नाम दर्ज किया जाना उचित है एंव वर्तमान सेटलमेंट के द्वारा पुरान खसरा नंबर 1121 का भाग दर्ज रक दिया गया है। जो राजस्व कार्मिको की मिलीभगत एंव भूलवंश हुआ है। जिसे दुरूस्त किया जना लाजमी है। वर्तमान में उक्त भाग पुराने खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

1121 का दर्शाया हुआ है। जिसे पुनः 1136 का भाग रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को माना जावें। क्योकि अदालत हाजा के द्वारा निर्णय पारित किया गया है कि राष्ट्रीय में खसरा नंबर 1136 में सें निकलने के प्श्चात उतर दिशा की तरफ 1 बीघा 10 बिसवा भूमि शेष बचती है। जिसको वर्तमान में पुराना खसरा नंबर 1121 का भाग दर्शित किया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाकर पुनः 1136 का भाग माना जावें एंव वर्तमान खसरा नंबर 1535 रकबा 1.01 हैक्टर,खसरा नंबर 1536 रकबा 0.05 हैक्टर,खसरा नंबर 1537 रकबा 0.10 हैक्टर को 1121 का भाग नहीं मानते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में उक्त खसरा की भूमि को खसरा नंबर 1136 का भाग मानते हुए राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जाना लाजमी है।

4–इस प्राकर नये सेटलमेंट में पुराने खसरा नंबर क`रकबा को खातेदार की खातेदारी भूमि में कम कर दया गया है जो महज भूलवश हुआ है। इसे दुरूस्त किये जाने हेतू प्रार्थी ने अप्रार्थीग्ण को कई बार कहा मगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रेकार्ड को दुरूस्त नहीं किया गया। इस हेू अप्रार्थीगण ने आपके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेश दिया जावेंकि मौजा थांवला की सरहद में स्थित पुराने खसरा नंबर 1136 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जो राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 बीघा 5 बिस्वा जाने के प्श्चात शेष बचा था। जिसका दक्षिण तरफ हिस्सा 3 बीघा 3 बिस्वा व उतर की तरफ 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो खसरा नंबर 1121 के पड़ासे में आई हुई है। वर्तमान सेटलमेंट ने उक्त खसरान की भूमि को खसरा नंबर 1121 का भाग दर्शित करते हुए नये खसरा नंबर 1535,1536,1537 दर्शित किये गये है। जिन्हें पुनः खसरा नंबर 1136 का भाग कायम करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट चाही गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.6.2024 को अपनी जांच रिपोर्ट पेश की गई। जो स्पष्ट नहीं होने से पुनः रिपोर्ट चाही गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 22.12.2023 को पुनः जांच रिपोर्ट पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में बताया गया कि मौजा थांवला के पुराने खसरा नंबर 1136 को कुल रकबा 6.18 बीघा था जिसको मौके अनुसार तीन भागो में बांटा गया। भाग 'ए' का क्षैत्रफल 1.10 बीघा तथा भाग 'बी का क्षेत्रफल जो राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की जा चूकी है। जिसकी लंबाई 392 फीट व चौड़ाई 100 फीट कुल 392 वर्गफुट है जो 2 बीघा 05 बिस्वा भूमि है। जो मौके पर सड़क बनी हुई है तथा मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। इससी में से शेष भाग 'सी' की भूमि जो एन.एच. 89 के दक्षिणी की दिशा में भूमि है जिसका क्षेत्रफल 3.03 बीघा भूमि है जो बिन्दु 'सी' है का शुद्वि की डिकी श्रीमान के न्यायालय द्वारा 1.10 बीघा की डिकी जारी हुई है। जिमें यह निर्णय लिखा गया क खसरा नंबर 1136 का रकबा 1.10 बीघा एन.उच. 89 के उतर दिशा की तरफ प्रतिवादी 4 से 7 व उने कायम मुकाम के नाम दर्ज की जावे। शेष भूमि 3.03 बीघा जो सड़क के दक्षिण की तरु हैजो आदिनांक उक्त खातेदारो के नाम दर्ज है। जिसके नये खसरा नंबर 1570 रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नंबर 1571 रकबा 0.71 कुल रकबा 0.75 हैक्टर बने है।

उपरोक्त नक्शे अनुसार भू प्रबंध विभाग द्वारा भाग 'बी' का नया खसरा नंबर 1546 बनाया गयाजिसमें सड़क बनी हुई है। अतः ये एन.एच.89 का भाग है। इसमें ना तो राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन किया जाएगा और ना ही इसमें किसी प्रकार का राजस्व नक्शे में परिवर्तन किया जाएगा। एन.एच. 89 की भूमि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा नजरी नक्शा अनुसार भाग ''सी'' में नये खसरा नंबर 1571 जिसका रकबा 0.71 है में सें एन.एच. 89 के उतर में भाग ''ढ'' की जगह 0.04 हैक्टर तथा शेष भूमि भाग ''सी'' की जगह 0.47 हैक्टर भूमि का राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन व नक्शे में भी एन.एच.89 के उतर में खसरा नंबर 1536 व 1537 की जगह 1571/1 बनेगा जिसका रकबा 0.24 हैक्टर होगा तथा खसरा नंबर 1536 व 1537 खसरा नंबर 1534 व वखसरा नंबर 1538 का भाग नक्शे में रहेगाज्ञ। जिसका राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा अतः मौका राजस्व रेकार्ड व नक्शे के अनुसार इस तरह शुद्वि किये जाने की अभिशंषा की जाती है। खातेदारी यथावत रहेगी खातेदारो के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाएगा।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताा गया कि प्रार्थी की पुराने खसरा नंबर 1136 व 1137 की भूमि प्रार्थीगण व उनके परिवार की भूमि है। जिसके बीच में सें एन.एच. 89 निकलने से इन खसरो की भूमि के दो भाग हो गये और मगर सेटलमेंट विभाग ने नये खसरा नंबर कायम कर दिये गये । विवादित भूमि का माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 42/13 में निर्णय दिनांक 07.04.2016 में विवादित भूमि प्रार्थीगण की बतायी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जांच रिपोर्ट में शुद्वि किया जाने की अभिशंषा की है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे बहस पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड यथा जमबांदी, राजस्व नक्शे, न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व निर्णय वाद संख्या 42/13 निर्णय दिनांक 07.04.2016 तथा प्रतिवादी संख्या 1 की जांच रिपोर्टस का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

– आदेश –

" मौजा थांवला के पुराने खसरा नंबर 1136 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जो एन.एच. 89 में 2 बीघा 5 बिस्वा जाने के पश्चात शेष भूमि है जिसका दक्षिणी तरफ हिस्सा 3 बीघा 3 बिस्वा व उतर दिशा की तरफ 1 बीघा 10 बीस्वा जो खसरा नंबर 1121 के पड़ोस में आई हुई है जिसको सेटलमेंटमेंट विभाग द्वारा खसरा नंबर 1121 का भाग दर्शित कर नये खसरा नंबर 1535,1536,1537 दर्शित किया है। जिसको निरस्त करते हुए पुनः खसरा नंबर 1136 का भाग कायम किया जाता है। जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 07.04.2016 में कायम किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 (तहसीलदार रियांबड़ी) की जांच रिपोर्ट में बताया गया है। तहसीलदार की जांच रिर्पोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा। "

तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार शुद्विकरण कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी आशय की तहरीर मय जांच रिपोर्ट के साथ तहसीलदार रियांबड़ी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/3/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर